झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–338 वर्ष 2017

शम्भू साव, पे0–स्वर्गीय बालो साव, निवासी–बिरसा चौक, बाईपास रोड, डाकघर एवं थाना–जगन्नाथपुर, जिला–राँची, झारखण्ड।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ अपने सचिव, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

2. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

3. एरिया मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

4. प्रबंधक (लेखा), भारतीय खाद्य निगम जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

5. प्रबंधक (डी), भारतीय खाद्य निगम जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

6. सहायक महाप्रबंधक (आई0आर0–एल0), भारतीय खाद्य निगम जिसका कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, फेज– फेज–II, चौथी मंजिल, कच्छेरी रोड, राँची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, झारखण्ड–834001 है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगोन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

एफ0सी0आई0 के लिए :– श्री निपुन बख्शी, अधिवक्ता

यू0ओ0आई0 के लिए :– श्रीमती अमृता सिन्हा, अधिवक्ता

06/18.112017 श्री मनीष कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री निपुन बख्शी, भारतीय खाद्य निगम के विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ श्रीमती अमृता सिन्हा, भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट एप्लिकेशन में याचिकाकर्त्ता ने भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, समूह बीमा, छुट्टी नकदीकरण एवं अन्य देयताओं के अलावा महंगाई भत्ते का अंतर सहित सेवानिवृत बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

मामले के तथ्यात्मक पहलुओं से पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता को भारतीय खाद्य निगम में नियुक्त किया गया था और उसने 31.08.2016 को हैंडलिंग लेबर

के पद से सेवानिवृति प्राप्त की थी। याचिकाकर्त्ता का दावा है कि अधिकारियों से बार–बार संपर्क करने के बावजूद उनके सेवानिवृत बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

चूंकि प्रत्यर्थी के लिए पहली बार में याची के दावे पर विचार करना आवश्यक होगा, इसलिए इस रिट आवेदन को याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी सं0 2 के समक्ष अपने दावे का विवरण देते हुए एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है, और यदि ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या–2 उस पर विचार करेंगे और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे यदि याचिकाकर्त्ता का दावा वास्तविक पाया जाता है तो प्रतिवादी सं0 2 द्वारा सेवानिवृत बकाया के भुगतान क लिए तत्काल और प्रभावी उपाय किए जाएं जो अभ्यावेदन के निपटान की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर होना चाहिए।

यह रिट आवेदन उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)